कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2786 / 12–1 (1)　　　　दिनांक, देहरादून,जून 26, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कालोनी, देहरादून ।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी में नौगांव–स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भिरोन्था–रस्टाड़ी होते हुए कण्डाऊँ तक (8कि0मी लम्बाई) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 हेक्टेअर वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक ।**

सन्दर्भः– **FP/UK/ROAD/ 9767 / 2015**

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट ने अपने कार्यालय पत्रांक 2724 / 12–1(1) दिनांक 03–06–2015 द्वारा जनपद उत्तरकाशी में नौगांव–स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भिरोन्था–रस्टाड़ी होते हुए कण्डाऊँ तक (8.00 कि0मी0 लम्बाई) **निर्माण हेतु 3.150 हेक्टेअर वन भूमि** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट, को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित गया किया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
अपर यमुना वन प्रभाग मुगरसन्ती रेंज	आरक्षित वन भूमि कक्ष संख्या 5 बी व 8	3225	2.2575	331	बांज वृक्ष नहीं हैं
	सिविल वन भूमि ग्राम किम्मी व रस्टाड़ी	1275X 7	0.8925	9	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि	4500	**3.15**	**340**	**रिक्त**
अपर यमुना वन प्रभाग	**नाप भूमि– ग्राम किम्मी,रस्टाड़ी,भंरौथा तथा कण्डाऊ़**	3500 X 7	2.45	0	0
	योग	8000 मी0	5.6	0	**रिक्त**

प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 340 वृक्ष वन भूमि में बाधित हैं। **मार्ग के समरेखण में बांज प्रजाति के वृक्ष बाधित नहीं हैं।** प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र– **III** में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(भुवन चन्द)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 2786 **(1) /** 12-1(1) **उक्त दिनांकित ।**

प्रतिलिपि प्रभागीय अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट उनके पत्रांक 2724/ 12–1 दिनांक 03–6–2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भुवन चन्द)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद उत्तरकाशी में नौगांव–स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भिरोन्था–रस्टाड़ी होते हुए कण्डाऊँ तक (8कि0मी लम्बाई) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 हेक्टेअर वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक – 26 जून, 2015
स्थान – देहरादून ।

¼Hkou pUn½
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून ।